# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

(पीठासीन अधिकारीः– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–109/2021/225 (2021/109)

1. गोरधन पुत्र लादू, जाति गुर्जर, निवासी लापोडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. पप्पू पुत्र भैरू दत्तक पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर निवासी लापोडिया, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 31.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 51/2015.

उपस्थितः–

1. श्री बी0एल0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

दिनांकः– 25.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 31.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व दुर्गा पुत्री गोरधन द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 13.7.2015 को वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व धारा 151 जा0दीद0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की खतौनी संख्या 54 के आराजी खसरा नंबर 1047 रकबा 0.05 है0 में हिस्सा 1/48, खतौनी संख्या 56 के खसरा नंबर 1056 रकबा 0.10 है0 में हिस्सा 1/32, खतौनी संख्या 57 रकबा 0.21 है0 में 1/32 हिस्सा, खतौनी संख्या 58 के खसरा नंबर 315, 441, 446, 748, 750, 949, 1090, 1478/767, 1481/1045, 1489/1089, 1515/751, 1527/371, 1530/468, 1534/469, 1537/316 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 है0 में हिस्सा 1/4, खतौनी संख्या 59 के खसरा नंबर 1490/1077 रकबा 0.06 है0 में हिस्सा संपूर्ण भूमि वाके ग्राम लापोडिया, तहसील दूदू में स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी संख्या 1 दुर्गा पुत्री गोरधन तथा प्रार्थी संख्या 2/रेस्पो0 पप्पू पुत्र भैरू दत्तक पुत्र गोरधन का हिस्सा 1/3, 1/3 बनता है । प्रार्थना पत्र मे सजरा अंकित कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 दुर्व्यवसनों में लिप्त है जिसको कुछ लोग बहला फुसला कर वादग्रस्त भूमि का बैचान करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना

पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात में किसी प्रकार की दखलदांजी न स्वंय करे ना ही अन्य से करावे तथा विवादित आराजी को रहन, बेय, मुन्तकिल, हस्तातंरित नही करे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 31.5.2016 को जवाब प्रस्तुत किये जाने तक रहन, बेचान नहीं करने के आदेश पारित कर दिये । तत्पश्चात् दिनांक 22.7.2015 को दुर्गा पुत्री गोरधन जो कि प्रार्थी संख्या 1 थी के द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया गया जिस पर दिनांक 9.10.2015 को अपीलांट द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 31.5.2016 को न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कोर्ट में मूल प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 315, 441 446, 748, 750, 949, 1090, 1478/767, 1481/1045, 1489/1089, 1515/751, 1527/371, 1530/468, 1534/469, 1537/316 कुल किता 15 कुल रकबा 6.63 है0 व खसरा नंबर 1490/1077 ग्राम लापोडिया तहसील दूदू की मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने के आदेश पारित कर दिये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध एकतरफा में बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा प्रकरण में दुर्गा पुत्री गोरधन के द्वारा दिनांक 22.7.2015 को प्रार्थना पत्र विड्रो प्रस्तुत किया था जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् प्रकरण में प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुनवाई किया जाना शेष था परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना सुनवाई का मौका दिये, बिना जवाब प्रार्थना पत्र बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये तथा बिना जवाबदेही बंद किये एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है । अधी0न्याया0 मे वाद दत्तक पुत्री की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है । पत्रावली व अभिकथनों में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि पप्पू किस दस्तावेज से दत्तक पुत्र की हैसियत रखता है तथा बिना किसी आधार के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि अधी0नया0 द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कौर्ट बाबत् न तो पक्षकारान को नोटिस जारी किये ना ही सूचना तामील करवाई । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा निर्णय दिनांक 31.5.2016 में अंकित भूमि के अलावा अन्य खसरा नंबर 1047, 1051, 1053 बाबत् भी अनुतोष चाहा था परन्तु बिना किसी आधार, बिना गुणावगुण तथा पत्रावली का अवलोकन किये बिना उक्त भूमि को निर्णय में शामिल नही किया गया है । अधी0न्याया0 ने मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् आदेश पारित किये है जबकि पत्रावली में कब्जा बाबत् कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है । अधी0न्याया0 ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति बाबत् अपने आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है । धारा 212 के तहत मौके की यथास्थिति बनाये रखने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 ने बिना राजस्व रिकार्ड कब्जा संबंधी प्राप्त किये प्रार्थीगण का कब्जा मानकर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् जो

आदेश पारित किये है वे विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पो0 के कोई टाईटल नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांट को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का काश्त पेशा व्यक्ति होकर अनपढ़ है तथा कानूनी जानकारी नहीं है । मात्र हस्ताक्षर करना जानता है । प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार गुर्जर द्वारा प्रार्थी को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वारर में अपीलाधीन निर्णय पारित होने बाबत् कभी कोई जानकारी नही दी थी । प्रार्थी अक्सर बीमार रहता है तथा चलने फिरने में असमर्थ होने से हर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था । दिनांक 17.8.2020 को मूल वाद में नियुक्त अधिवक्ता श्री भैरूलाल शर्मा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा बार–बार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की पत्रावली व तारीख पेशियों की जानकारी चाही जिस पर प्रार्थी द्वारा अनभिज्ञता जाहिर करने पर व तारीख पेशियों में काफी तलाश के पश्चात् दिनांक 30.3.2021 को एकतरफा निर्णय की जानकारी हुई जिस पर पत्रावली की प्रमाणित प्रति दिनांक 31.3.2021 को प्राप्त होने पर अविलंब यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.2016 के विरूद्ध अपीलांट ने 8.4.2021 को लगभग 5 वर्ष की भारी मियाद बाद अपील पेश की है तथा प्रार्थना पत्र में विलंब के संबधं में भी समुचित एवं ठोस कारण अंकित नही किये है। बिना समुचित एवं ठोस कारणों के अभाव में इतना भारी विलंब माफ नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 संख्य 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पैतृक आराजियात है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से हक व अधिकार है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात की मूल वाद के निस्तारण तक सुरक्षा हेतु अपीलांट/अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपीलांट ने अपील में जो तथ्य उठाये है उनका निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 31.5.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 8.4.2021 को हस्तगत अपील पेश की है जो लगभग 5 वर्ष की भारी मियाद बाहर पेश की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 अधी0न्याया0 के जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे है किन्तु जवाब पेश नहीं किया है । अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 5 वर्षो तक अपने अधिवक्ता से संपर्क में नहीं रहा हो यह कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने स्वंय के बीमार होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अपने प्रकरण की जानकारी रखना पक्षकार स्वंय की भी जिम्मेदारी है ।

अपीलांट ने इतने भारी विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है जिसके अभाव में इतना भारी विलंब माफ नहीं किया जा सकता है । आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 289 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– " INDIAN LIMITATION ACT, 1963-Secteion 5- When there is no sufficient cause shown for not filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned. " अपीलांट ने 5 वर्ष के भारी विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निरस्त किया जाता है ।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर